

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

गीता

बनाम

चाडी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 211/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गीता</u></p> <p>पुत्री / पति श्री <u>अश्वानलाल गुजर</u></p> <p>निवासी- <u>अडाना का खेडा</u> तहसील <u>वस्ती</u> व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....</p> <p><u>अडाना का खेडा (प.ह.पाम)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>10, 21, 22, 33</u></p> <p><u>34, 38, 50, 8, 9</u></p> <p><u>0.53, 0.39, 0.44, 1.52, 0.53</u></p> <p>कुल कीता <u>0.9</u> कुल रकबा <u>4.8200</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>अडाना का खेडा (प.ह.पाम तहसील वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>10, 21, 22, 33, 34, 38, 50, 8, 9</u></p> <p><u>0.38, 0.66, 0.17, 0.20, 0.53, 0.39, 0.44, 1.52, 0.53</u></p> <p>कुल कीता <u>0.9</u> रकबा <u>4.8200</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल)</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>